न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

रामलाल पुत्र भेरारामजी, जाति-मीणा, निवासी- केसरपुरा, तहसील-शिवगंज, जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 04/2018

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 25 फरवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 76/2017 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 12.1.2018 बाबत ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 428 व 429 रकबा क्रमशः 0.02 बीघा व 0.12 बीघा किस्म रास्ता व खा.ख. भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी तहसीलदार, शिवगंज के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 428 व 429 रकबा क्रमशः 0.02 बीघा व 0.12 बीघा किस्म रास्ता व खा.ख. का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने के आदेश पारित करने में कानूनन भूल की गई है। यह कि हल्का पटवारी, बडगांव ने दिनांक 10.10.2017 को अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/14 रकबा 0.14 बीघा किस्म बंजर भूमि का अतिक्रमी मानकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिस पर अपीलार्थी के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण संख्या 13/2017 दर्ज कर नोटिस जारी किया था जिसका अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 14.12.2017 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को निरस्त किया गया था, इस निर्णय में यह अंकित किया है कि विवादित भूमि ग्राम बडगांव व केसरपुरा की सीमा पर स्थित है। विवादित स्थल के आस पास घनी आबादी बसी हुई है व लोगों के मकान बने हुये है तथा दूर दूर तक कोई मुस्तकील बिन्दु नही होने से जरीब व फीते से सीमांकन किया जाना संभाव नही है। अतः गूगल मैप को स्केल पर जिला कार्यालय से सेग्रीगेशन तरमीम हेतु [illegible] शीट को सुपर इम्पोज करने पर अप्रार्थी रामलाल मीणा का कब्जा ग्राम [illegible]पुरा [illegible] होना प्रतीत होना बताया है। जब

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:10:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

विवादित भूमि की पैमाईश ही नई हुई है तो गूगल मेप से विवादित भूमि का सीमांकन होना कैसे संभव हो सकता है। यह कि अपीलार्थी का वर्ष 1981 से पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286 में ही कब्जा होना बताया है, जिसका पटवारी ने नजरी नक्शा भी बनाया है, इसके बावजूद हल्का पटवारी, केसरपुरा ने अपीलार्थी के विरुद्ध विवादित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो विधि अनुरुप नही है। यह कि अपीलार्थी ने प्रशासन गांवों के संग शिविर में दिनांक 29.10.2001 को ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286 रकबा 1/2 बीघा बिलानाम भूमि का नियमन कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर विवादित भूमि नगरपालिका परिधीय सीमा में होने से तहसीलदार, शिवगंज ने धारा 90 बी के तहत नगर पालिका, शिवगंज में कार्यवाही करने हेतु सूचित किया था। यह कि अपीलार्थी का दिनांक 05.11.1981 के नजरी नक्शे में हल्का पटवारी, बडगांव ने उत्तर दिशा में शिवगंज से केसरपुरा का कच्चा मार्ग व दक्षिण दिशा में शिवगंज से बेडा सडक पक्की पूर्व में शिवगंज से खेजडिया का कच्चा मार्ग बताया जो सही है, कहीं रास्ते का विवाद नही है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी के मौके पर करीब 50-60 वर्ष पुराने मकानात बने हुए है। अपीलार्थी अपने पिता व दादा के समय से मौके पर निवास कर रहा है। विवादित भूमि पर बने मकान के अलावा अपीलार्थी का अन्य कोई आवासीय मकान नही है। यह कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण करने के संबंध में दिनांक 04.3.1990 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था एवं ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अपीलार्थी के पिता भेराराम पुत्र वेलाजी मीणा, निवासी- केसरपुरा के नाम से विवादित भूमि का आवासीय पट्टा संख्या 28 दिनांक 15.1.1991 को जारी किया गया है। मौके पर अपीलार्थी के पिता ने मकान का निर्माण करवाया हुआ है, उससे पूर्व से ही विवादित भूमि का आवासीय उपयोग अपीलार्थी द्वारा पेढियों से किया जा रहा है। यह कि तहसीलदार, शिवगंज को उनके पत्र क्रमांक/राजस्व अभि/86/789 दिनांक 13.6.1986 के सन्दर्भ में हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यह अंकित किया है कि ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286 रकबा 7 बिस्वा भूमि पर श्री रामलाल पुत्र भेराजी मीणा, निवासी- केसरपुरा द्वारा अतिक्रमण कर मकान व वाडा बनाया गया है। मकान कच्चा व पुराना बना हुआ है। प्रार्थी इसी मकान में परिवार सहित निवास करता है। उक्त भूमि ग्राम केसरपुरा की आबादी भूमि से लगती हुई है। ग्राम बडगांव में प्रार्थी के कोई अन्य भूमि या मकान नही है, इसलिये प्रार्थी को खसरा संख्या 286 में रकबा 7 बिस्वा कब्जाशुदा भूमि का नियमन किया जाता है तो कोई आपत्ति नही है। उसके बावजूद भी भूमि का नियमन नही किया है, जबकि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार विवादित भूमि का नियमन किये जाने योग्य है। यह कि अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि एवं अडौस-पडौस की भूमि के मौके की स्थिति को रेकर्ड पर लाने के लिये इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, शिवगंज से मौके व अडौस-पडौस की स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार, शिवगंज से तलब की गई थी। तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांक/रीडर/2019/28 दिनांक 09.1.2019 से इस न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि ग्राम बडगावं के खसरा संख्या 286/7 रकबा 42.01 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि दर्ज है। खसरा संख्या 286/6 रकबा 10 बीघा किस्म आबादी ग्राम पंचायत बडगावं के नाम से दर्ज है जिसमें गणेशनगर की आबादी बसी हुई है। [illegible] की आबादी भूमि से लगती हुई भूमि बिलानाम पर करीब 150-200 मकान बने हुये है जो [illegible] कब्जे है जिसमें लोग परिवार सहित निवास कर रहे है। कब्जो के [illegible] को निवेदन कर

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:10:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

चुके है। साथ ही उक्त भूमि नगरपालिका, शिवगंज के परिधीय क्षेत्र में आती है। इस प्रकार, तहसीलदार, शिवगंज की उक्त रिपोर्ट दिनांक 09.1.2019 से भी यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर घनी आबादी बसी हुई है तथा अपीलार्थी सहित कई व्यक्तियों के मौके पर पुराने मकानात बने हुए है एवं मौके पर अपीलार्थी का पुराना आवासीय कब्जा होने से अपीलार्थी विवादित भूमि को नियमन कराने का अधिकारी है। यह कि राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(6)राज./6/2000/2 दिनांक 30.1.2006 के द्वारा समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सिवायचक एवं अन्य गैर मुमकिन राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.7.1989 से पूर्व आवास गृह व जानवारों के बाडे बनाकर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये थे एवं दिनांक 01.7.1989 की अवधि को बढाकर 01.1.19995 कर दिया है तथा उसके बाद राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(6)राज./6/2000/1 दिनांक 11.1.2008 के द्वारा उक्त अवधि को बढाकर दिनांक 01.1.2009 कर दिया है, उसके बावजूद भी विवादित भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में नियमन नही किया जा रहा है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.1.2018 को निरस्त किया जाकर विवादित भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में नियमन करने हेतु निर्देश जारी किये जावें। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि विवादित भूमि के मौके पर आबादी बसी हुई होने एवं कोई मुस्तकील बिन्दु नही होने के कारण विवादित भूमि की जरीब या फीता चलाकर सीमाज्ञान संभव नही होने के कारण गूगल मेप को स्केल पर सुपर इम्पोज करके विवादित भूमि का सीमाज्ञान किया, जिसमें अपीलार्थी का अतिक्रमण ग्राम केसरपुरा के ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 428 व 429 रकबा क्रमशः 0.02 बीघा व 0.12 बीघा किस्म रास्ता व खा.ख. पर अतिक्रमण पाया गया। जिस पर हल्का पटवारी, केसरपुरा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 428 व 429 रकबा क्रमशः 0.02 बीघा व 0.12 बीघा किस्म रास्ता व खा.ख. पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में प्रस्तुत की गई है जिस पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया एवं सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा नियमानुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/14 रकबा 0.14 बीघा किस्म बंजर भूमि पर अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 13/2017 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी रामलाल ने उपस्थित होकर लिखित जवाब एवं जवाब के साथ दस्तावेज ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा जारी पट्टे की छाया प्रति, विद्युत बिल आदि दस्तावेज प्रस्तुत किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 13/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2017 के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही निरस्त की गई एवं यदि ग्राम केसरपुरा में अपीलार्थी का कब्जा राजकीय सिवाय चक भूमि पर पाया जाता है तो नियमानुसार अलग से कार्यवाही अमल में लाई जावें।

हल्का पटवारी, केसरपुरा द्वारा अपीला[illegible] अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में इस आशय की [illegible] खसरा संख्या 428

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:10:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

किस्म रास्ता व खसरा संख्या 429 किस्म खाल खद्दर पर श्री रामलाल पुत्र भेराराम जी जाति- मीणा, निवासी- केसरपुरा द्वारा वाडा मय मकान व चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। उक्त ख.नं. के आस पास घनी आबादी होने व कोई मुस्तकिल बिन्दु नही होने से फीता या जरीब से पैमाईश नही हो सकी, इसलिये गूगल मैप पर सुपर इम्पोज करने पर खसरा संख्या 428 किस्म रास्ता पर 0.02 बीघा (160 वर्ग मी.) व खसरा संख्या 429 रकबा 0.12 बीघा (980 वर्ग मी.) पर अतिक्रमण पाया गया। उक्त रिपोर्ट के साथ हल्का पटवारी, केसरपुरा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2074 में ग्राम केसरपुरा के ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 428 व 429 रकबा क्रमशः 0.02 बीघा व 0.12 बीघा किस्म रास्ता व खा.ख. अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में प्रस्तुत की गई है। हल्का पटवारी, केसरपुरा की उक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायलय में अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 76/2017 दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को विवादित भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के ओर से उसके अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 76/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.1.2018 के अनुसार अपीलार्थी को ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 423 व 429 रकबा क्रमशः 0.02 बीघा व 0.12 बीघा किस्म रास्ता व खा.ख. भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में उक्त प्रकरण संख्या 13/2017 में प्रस्तुत जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि ग्राम पंचायत, केसरपुरा द्वारा अपीलार्थी के पिता भेराराम जी पुत्र वेलाजी मीणा, निवासी- केसरपुरा के नाम से पट्टा संख्या 28 दिनांक 15.1.1991 को जारी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रतियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांक:राज/अभियान/2002/2908 दिनांक 16.3.20002 के द्वारा रामलाल पुत्र भेराजी मीणा, निवासी- केसरपुरा को उनके द्वारा ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286 रकबा 0.07 बीघा भूमि के नियमन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया गया है कि उक्त भूमि नगरपालिका के परिधी सीमा के भीतर होने से इस कार्यालय द्वारा कार्यवाही संभव नही है, इस संबंध में धारा 90 बी के तहत नगर पालिका, शिवगंज से कार्यवाही करावे। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा तहसीलदार, शिवगंज को उनके पत्र क्रमांक:राजस्व अभि/86/789 दिनांक 13.6.1986 के सन्दर्भ में प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि रामलाल पुत्र भेराजी मीणा, निवासी- केसरपुरा द्वारा अतिक्रमण कर मकान व वाडा बनाया गया है। मकान कच्चा व पुराना बना हुआ है। प्रार्थी इसी मकान में सपरिवार निवास करता है, उक्त भूमि ग्राम केसरपुरा की आबादी भूमि से लगती हुई है। ग्राम बडगांव में प्रार्थी के कोई अन्य भूमि या मकान नही है, प्रार्थी को खसरा संख्या 286 मेकं से 0.07 बीघा कब्जा शुदा भूमि नियमन कर दिया जाये तो कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार, शिवगंज से ग्राम बडगावं के खसरा संख्या 286 व ग्राम केसरपुरा के खसरा संख्या 429 व आस पास के खसरा नम्बरों के मौके की वास्तविक रिपोर्ट तलब किये जाने पर तहसीलदार, शिवगंज के पत्र क्रमांक:रीडर/2019/28 दिनांक 09.1.2019 से इस न्यायालय में प्रस्तुत [illegible] यह अंकित किया है कि ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/7 रकबा 42.[illegible] बीघा [illegible]म खाल खद्दर दर्ज है। खसरा

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:10:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 286/6 रकबा 10 बीघा किस्म आबादी ग्राम पंचायत बडगांव के नाम दर्ज है। जिसमें गणेशनगर को आबादी बसी हुई है। गणेशनगर की आबादी भूमि से लगती हुई भूमि बिलानाम पर करीब 150-200 मकान बने हुये है जो वर्षो पुराने कब्जे है जिसमें लोग परिवार सहित निवास कर रहे है।

इस प्रकार, तहसीलदार, शिवगंज की उक्त रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि मौके पर आबादी बसी हुई है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरण संख्या 76/2017 में दिनांक 12.1.2018 को निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण संख्या 17/2017 में प्रस्तुत जवाब व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर गुणावगुण पर विवेचन किये बिना ही एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

अत: अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 76/2017 में पारित निर्णय दिनांक 12.01.2018 बाबत अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड अनुसार इस तथ्य की जांच करे कि अपीलार्थी का कब्जा ग्राम केसरपुरा की विवादित भूमि में है अथवा अपीलार्थी ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 286/14 की भूमि पर काबिज है? तत्पश्चात् अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलार्थी द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का राज्य सरकार द्वारा राजकीय सिवायचक/बिलानाम भूमियों के नियमन के संबंध में समय समय पर जारी परिपत्रों के तहत गुणावगुण पर विवेचन करते हुए पुन: विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:10:25 IST
Reason: SelfAttested